WWW.LAWTREND.IN

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि–09.07.2021

निर्णय सुनाने की तिथि– 14.07.2021

कक्ष संख्या–79

वादः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–5134/2021

आवेदकः– संगीता जायसवाल

विपक्षीः उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक के अधिवक्ताः– ईशिर श्रीपत, अमित डागा, अंजनी कुमार राय, अशोक कुमार राय

विपक्षी के अधिवक्ताः– शासकीय अधिवक्ता

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान जमानत याचिका की सुनवाई अप्रत्यक्ष प्रणाली से संम्पन्न करी गयी।

अभियोजन कथानक

2. श्री विजय प्रताप यादव, आबकारी निरीक्षक, ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत) संख्या 0527, थाना फूलपुर, जिला प्रयागराज, में दिनॉक 21/11/2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 272, 273 व उ०प्र० उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम, की धारा 60, 63 व 64 (A) के अन्तर्गत अपराध कारित होने की एक सूचना, प्रार्थी संगीता जायसवाल अनुज्ञापी, श्याम बाबू जायसवाल प्रार्थी के पति व जगजीत सिंह, सेल्समैन के विरूद्ध दर्ज करवाई। लिखित तहरीर के अनुसार दिनांक 20/11/2020 को देशी शराब दुकान अमिलिया, थाना फूलपुर, प्रयागराज पर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति अपमिश्रित/जहरीली शराब पीकर मर गये हैं, व दो-तीन लोग बीमार हैं। सूचना पाकर वो मौके पर फूलपुर थाना की पुलिस फोर्स के साथ पहुँचा तो मौके पर जनता के 10-15 लोग देशी शराब दुकान अमिलिया के सामने खड़े होकर कह रहे थे, कि अमिलिया देशी शराब दुकान से शराब पीकर कई लोग मर चुके हैं व कई लोग बीमार हैं, मौके पर ही जनता के लोगों के सहयोग से स्थानीय पुलिस ने मृतकों के नाम व निवास का पता किया मृतकों में 1. बसंतलाल पटेल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम

WWW.LAWTREND.IN

अमिलिया थाना फूलपुर प्रयागराज 2. सम्भूनाथ मौर्य पुत्र जकदर लाल निवासी अमिलिया थाना फलपुर प्रयागराज 3. राजबहादुर गौतम पुत्र जगदर लाल निवासी अमिलिया थाना फूलपुर प्रयागराज 4. प्यारेलाला बिन्द पुत्र राम अधार निवासी खन्सार थाना फूलपुर प्रयागराज 5. राजेश गौड़ निवासी मैलहन थाना फूलपुर प्रयागराज। जनता के लोगों ने बताया कि राजेश गौड़ का सुबह देहान्त हुआ उनका दाह संस्कार किया जा चुका है। जनता के लोगों व ग्राम प्रधान अमिलिया ने बताया कि कुछ लोगों की तबियत खराब मिली जिनको एम्बुलेंस से सी0 एच 0 सी0 फूलपुर व फिर वहाँ से जिला अस्पताल पुलिस के सहयोग से भेजा गया है। जिसमें नन्हे बिन्द, दयाराम, विनोद, सरोज, जंगी लाल आदि को प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। मौके पर अनुज्ञापी संगीता जायसवाल के पति श्री श्यामबाबू जायसवाल के खिलाफ जनता का आक्रोश था, लोग कह रहे थे कि श्यामबाबू ही लाभ के लिए कही से नकली/जहरीली शराब लाकर बिक्री किया होगा व वही शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई व कुछ लोग बिमार पड़े हैं। मौके पर दुकान में मौजूद सेल्स मैन जगतजीत सिंह उर्फ बुद्धिराम ग्राम मैलहन थाना फूलपुर प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया गंभीर प्रवृति का है, जिसे बेहद गंभीरता से लेते हुए अनुज्ञापी व अनुज्ञापी के पति श्री श्यामबाबू जायसवाल के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाही। मौके से दुकान में मौजूद पेटियों में से 1-1 पौवा बतौर नमूना लिया व कुल 4 नमूना 3-3 पौवों के मौके पर ही सील व सर्व मुहर किया व नमूना परीक्षण हेतु भेजा गया है।

<u>आवेदक का पक्ष</u>

3. श्री मंगला प्रसाद राय, वरिष्ठ अधिवक्ता संग श्री ईशिर श्रीपत, उनके सहयोगी अधिवक्ता ने आवेदक का पक्ष रखते हुए कथन किया:-

(क) प्रार्थी/आवेदक एक महिला व देशी शराब दुकान, अमिलिया की अनुज्ञापी है, उसके चार बच्चे है, जिनकी उम्र चार वर्ष से लेकर बारह वर्ष है। उसका पति अभी जेल में है तथा इस समय बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है।

WWW.LAWTREND.IN

(ख) प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित अपराध कारित करने का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(ग) विवेचना के दौरान दुकान से शराब की जो बोतले नमूने के तौर पर जब्त करी गई थी उनको नमूना परीक्षण के लिये भेजा गया था। क्षेत्रिय आबकारी प्रयोगशाला, लखनऊ के परिक्षण विवरण के अनुसार सभी नमूनों का मेथनाल/कोलोरल हाइड्रेट परीक्षण नाकारात्मक रहा।

(घ) विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने जिन पीड़ित साक्षियों के ब्यान मजरूब दर्ज किये, वो सभी यह तो कहते हैं कि 19.11.2020 को उन्होने अमिलिया देशी शराब की दुकान से देशी शराब तो खरीदी परन्तु, वो उसके पीने के एक या दो दिन बाद बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती हुए। यह साक्ष्य नहीं है, कि इस एक या दो दिन में पिड़ित साक्षीयों ने किसी और दुकान से शराब ली या नहीं। शराब पीने के एक या दो दिन के बाद बीमार होना यह दर्शाता है, कि बीमार होने का कारण एक या दो दिन पहले पीने वाली देसी शराब नहीं है।

(ड़) प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध एक मात्र साक्ष्य, उसका पुलिस को दिया गया स्वीकृति कथन है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 व 26 के अन्तर्गत किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं किया जा सकता है।

(च) प्रार्थी/आवेदक नाम मात्र की अनुज्ञापी है तथा दुकान का समस्त कार्य उसके पति (सहअभियुक्त) के द्वारा किया जाता रहा है। प्रार्थी को प्रथम दृष्टया भी उपरोक्त वर्णित अपराधों का दोषी नहीं माना जा सकता है।

(छ) प्रार्थी/आवेदक की दुकान से कोई भी अपमिश्रित पेय, जब्त नहीं हुआ है, अतः उसके द्वारा भा०दं०सं० की धारा 272 के अंतर्गत अपराध को कारित करने का दोषी नहीं माना जा सकता है।

(ज) प्रार्थी/आवेदक एक महिला है, अतः वो दं०प्र०सं० की धारा 437 उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत जमानत की अधिकारी भी है।

WWW.LAWTREND.IN

(झ) प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वो 22.11.2020 से कारागार में है। विवेचना के उपरान्त प्रार्थी व अन्य सह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.02.2021 न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कथन

4. राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। उन्होने कथन किया:-

(क) प्रार्थी की दुकान से जहरीली शराब का सेवन करने के कारण 6 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके मृत्यु का कारण जानने हेतु विसरा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयागराज भेजा गया था। जिसके परीक्षण परिणाम के अनुसार विसरा में इथाईल अल्कोहल व मिथाईल अल्कोहल विष पाया गया।

(ख) विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने 19 पिड़ित साक्षियों के बयान दर्ज किये, जिन्होने इस बात की पुष्टि की, उन्होने प्रार्थी की देशी शराब की दुकान से 20.11.2020 को देशी शराब खरीदी व उस दिन या अगले दिन पी। सभी ने यह भी कहा कि शराब पीने के बाद वो बीमार हो गये तथा अस्पताल में भर्ती भी हुए।

(ग) सामान्य रूप से हर इंसान की रोग प्रतिरोधक शक्ति भिन्न होती है। अतः मात्र इस कारण से कि पिड़ित साक्षी जहरीली शराब पीने के एक या दो दिन बाद बीमार हुआ, यह सिद्ध नहीं करता है कि वो प्रार्थी की दुकान की शराब के कारण बीमार न हुआ हो।

(घ) प्रार्थी/ आवेदक के विरूद्ध गंभीर व संगीन अपराध कारित करने का आरोप है। भा०दं०सं० की धारा 272, उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन के अनुसार, इस धारा के अन्तर्गत दोषी होने पर आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। इसके अतरिक्त भा०दं०सं० धारा 304 के प्रथम भाग के अन्तर्गत दोषी होने पर भी आजीवन कारावास तक दण्डित किया जा सकता है।

WWW.LAWTREND.IN

(ड़) वर्तमान प्रकरण में जमानत देने का कोई कारण नहीं है।

5. उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

जमानत की विधि

6. जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला का होना, आरोप की गंभीरता और प्रकृति, आरोप सिद्ध होने की स्थिति में सजा की कठोरता, अनुपूरक साक्ष्य की प्रकृति, न्यायालय की आरोप के लिये प्रथम दृष्टया संतुष्टि, अभियुक्त की हैसियत व पद, अभियुक्त की न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना, शिकायतकर्ता और गवाह को धमकी की आशंका और अपराधी का अपराधिक इतिहास जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को मामले के अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता व स्थिरता की स्थिति की गुण–दोष की जांच सघनता से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह केवल परीक्षण के दौरान ही जांचा जा सकता है। (देखेः-**साबिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–18588/2021, आदेश दिनांकः–** 21.05.2021)

विश्लेषण व निष्कर्ष

7. वर्तमान प्रकरण में जहरीली शराब के सेवन के कारण, 6 व्यक्तियों की मौत हुई और 2 दर्जन के करीब लोग बीमार हुए है। मृतकों के शरीर में इथाइल व मिथाइल अल्कोहल विष पाया गया है। इनकी मृत्यु का कारण जहरीली शराब का पीना है। इसके अतिरिक्त करीब 2 दर्जन लोगों का हस्पताल में इलाज भी करवाया गया है। ऐसे बहुत से पिड़ितो ने विवेचना के दौरान अपने साक्ष्य भी दर्ज करवाये हैं। सभी ने कथन किया है कि 20.11.2020 को उन्होंने प्रार्थी/आवेदक भी अमिलिया देशी शराब की दुकान से शराब खरीदी थी और उसी दिन या अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में भर्ती भी रहे। जहरीली शराब का असर होने में लगने वाला समय उक्त शराब में मेथानॉल की मात्रा व सेवन करने वाले द्वारा ली गई मात्रा व व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति पर निर्भर हो सकती है। मात्र इस

WWW.LAWTREND.IN

कारण से कि कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीने के बाद एक या दो दिन बाद बीमार हुआ, यह नहीं माना जा सकता कि वो प्रार्थी की दुकान से ली गई, एक या दो दिन पहले शराब के सेवन के कारण न हुआ हो।

8. प्रार्थी के दुकान से शराब 19.11.2020 शाम को खरीदना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.11.2020 दोपहर 2.09 पर दर्ज करी गयी है। तब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और कई लोग बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती भी किये जा चुके थे। मृतको के शव विच्छेदन परीक्षण के अनुसार भी मृत्यु का समय 20.11.2020 दोपहर उपरान्त का होना प्रतीत होता है। (मृतक शम्भू नाथ मौर्या के शव विच्छेदन परीक्षण प्रारम्भ करने का समय 1.50 दिनॉक 21.11.2020 तथा मृत्यु का सम्भावित समय 3-4 दिन पूर्व)। अतः प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य सत्य प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रहना चाहिये कि शराब खरीदने और नमूना लेने के मध्य जो अन्तराल है, वो भी बहुत अधिक माना जायेगा क्योंकि लोगों की मृत्यु व बिमार होने कि सूचना गाँव में बहुत कम समय में हो गई थी।

9. प्रार्थी/आवेदक अमिलिया देशी शराब की दुकान की अनुज्ञापी है। अतः सुसंगत नियमावली के प्राविधानुसार वो हर एक कृत जो उस दुकान से संबधित है, के लिए उत्तरदायी है। अतः प्रार्थी की दुकान से बिकने वाली जहरीली शराब का उत्तरदायित्व उस पर ही रहेगा।

10. गत कुछ महीनो में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों के मरने व बीमार होने की कई घटना घटित हुई है। नवम्बर 2020 में ही लखनऊ व फिरोजाबाद में, इसके पूर्व अप्रैल मास में कानपुर में, सितम्बर मास में बागपत व मेरठ में, इस वर्ष, मई मास में अलीगढ़ में, मार्च मास में प्रतापगढ़ में तथा आजमगढ़, महोबा में भी ऐसी ही घटनाये घटित हुई हैं। एक आकड़े के अनुसार इस वर्ष उत्तर प्रदेश के 11 जिलो में 96 से भी ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब के कारण अपनी जान गवाई है।

11. जहरीली शराब की त्रासदियों में जान गवाने वाले अधिकतर लोग समाज के हाशिए के वर्गों से होते हैं। ऐसे परिवारो में मृत्यु होने से समस्त परिवार को

WWW.LAWTREND.IN

भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ऐसी एक घटना समाज में कई विधवाओं और अनाथों को जन्म दे सकती है। ऐसी घटना में लिप्त आरोपियों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होनी चाहिये। जहरीली शराब के कारण बीमार लोगो में भी ऐसी बीमारी होने की संभावना होती है, जो गंभीर हो, जैसे आँखों की रोशनी का जाना। ऐसे अपराधों में अपराधी केवल अपने मौद्रिक लाभ के लिए इंसानो की जिंदगी से खेल जाते हैं। यह अपराध, गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो न केवल पिड़ित के विरूद्ध है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के विरूद्ध भी है।

12. प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध गंभीर आरोप है, और सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रवधान है। सभी पिड़ित जन गरीब परिवार के सदस्य हैं, जबकि प्रार्थी/आवेदक की हैसियत अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, इसलिए उसको जमानत देने की दशा में पिड़ितों को धमकाने या प्रभावित करने की संभावना भी रहेगी। यह ध्यान रखते हुए कि घटना में प्रार्थी की दुकान से जहरीली शराब खरीद कर सेवन करने से 6 व्यक्तियों की मृत्यु व करीब 2 दर्जन लोग बीमार हुए हैं, आवेदक महिला होने के नाते भी राहत की अधिकारी नहीं है।

13. उपरोक्त विशलेषण का एक मात्र निष्कर्ष है कि वर्तमान जमानत याचिका निरस्त करने योग्य है, अतः निरस्त की जाती है।

14. इस आदेश में उल्लेखित कोई भी टिप्पणी विचारण कि प्रक्रिया व आदेश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

आदेश दिनांकः– 14.07.2021

अवधेश

(सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति)